

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगोराम पूनियां R.T.S.  
मिसल नं. :::: 03/2018

सरकार बनाम सुनिता पत्नी सतपाल, जाति-जाट,  
निवासी- स्वामीसेही

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 12.01.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायला उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायला सुनिता पत्नी सतपाल, जाति-जाट, निवासी- स्वामीसेही द्वारा रोही मौजा स्वामीसेही की राजकीय भूमि ख.नं. 378 कुल रकबा 5.31 है 0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.02 है 0 भूमि पर पक्के मकान बनाकर एवं लकड़िया डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायला को नोटिस जारी किया गया। गैर सायला ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि छड़ी कुरड़ी डालकर अतिक्रमण था, उसको नोटिस मिलते ही हटा लिया है, अब किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है और पक्के मकान नहीं है। गैर सायला का जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता सकता। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 35  
वर्ष.. 2017-18 में रुपये... 8/- कायम किए  
राजस्व लेखाकार

(मांगोराम पूनियां)  
तहसीलदार, सूरजगढ़